



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220518
CG-DL-E-14072020-220518

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2055]
No. 2055]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASHADHA 23, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

का.आ. 2329(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा, अलवर, राजस्थान, जिला— अलवर को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के अलवर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	अलवर	नीमराणा	काठूवास	558 मीन	0.1541
				557 मीन	0.0421
				559 मीन	0.0615
				556 मीन	0.0604
				555 मीन	0.0192
				554 मीन	0.0818
				553 मीन	0.2126
				551 मीन	0.0048
				550 मीन	0.1088
				549 मीन	0.0126
				548 मीन	0.0652
				547 मीन	0.0851
				546 मीन	0.1567
				545 मीन	0.0992

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2029]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

S.O. 2329(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Alwar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub Divisional Officer (Upkhand Adhikari), Nimrana, Rajasthan, District- Alwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the district Alwar in the State of Rajasthan.

Serial Number	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey number	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Alwar	Neemrana	Kathuwas	558 Min	0.1541
				557 Min	0.0421
				559 Min	0.0615
				556 Min	0.0604
				555 Min	0.0192
				554 Min	0.0818
				553 Min	0.2126
				551 Min	0.0048
				550 Min	0.1088
				549 Min	0.0126
				548 Min	0.0652
				547 Min	0.0851
				546 Min	0.1567
				545 Min	0.0992

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/2029]

A. K. SINHA, Executive Director (Land and Amenities)